न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 159/2014/223 आर टी ए

1. मखनसिंह पुत्र दयालाराम जाति बावरी निवासी रानियां तहसील रानिया जिला सिरसा।
2. जमना बाई पुत्री दयालाराम पत्नि मंगलसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मंगोबाई पुत्री दयालाराम पत्नि दीवान चन्द जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 9 रानियां जिला सिरसा।
4. माया बाई पुत्री दयालाराम पत्नि हरबंश जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 9 रानियां जिला सिरसा।

––अपीलांटस

बनाम

1. कृष्णसिंह पुत्र दयालाराम जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. संतासिंह पुत्र दयालाराम जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

––रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
प्रकरण संख्या 568/2013 अनवानी कृष्णसिंह बनाम दयालराम आदि

उपस्थित :–
श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांकः–24.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 1 सीडीआर के खाता सं. 32 मे कुल 1.265 है0 एवं चक 3 सीडीआर के खाता सं. 31 मे 2.049 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसका घरूबंटवारा हो चुका है। घरूबंटवारा के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.13 को प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा को तस्दीक करते हुए वाद वादीगण डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो सं. 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी दयालाराम के पुत्र होने की हैसियत से दावा प्रस्तुत कर दयालाराम के नाम दर्ज आराजी की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जबकि दयालाराम के तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियां कुल 6 संतान है। उक्त पैतृक सम्पति मे अपीलांटस के पिता दयालाराम की

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जीवित अवस्था मे उक्त भूमि 1/7 हिस्सा मे विभाजित होनी थी। अपीलांटस के पिता दयालाराम की मृत्यु दिनांक 05.07.2014 को हो चुकी है तथा अपीलांटस की माता दयालो अभी जीवित है ऐसी स्थिति मे वादपत्र मे विवादित आराजी 1/7 हिस्सा मे विधि अनुसार विभाजित होनी चाहिए थी। परन्तु वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत करते हुए वादाधीन भूमि को घरूबंटवारा मे प्राप्त होने का कथन कर दावा डिक्री करवा लिया। अपीलांट के पिता दयालाराम के संतान के तौर पर तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियां है। वादीगण द्वारा वादपत्र मे अपीलांटस को पक्षकार बनाये बिना ही वादपत्र प्रस्तुत कर दिया। वादपत्र मे पक्षकार न बनाये जाने की सूरत मे अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहे। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घरूबंटवारा मे कृषि भूमि प्राप्त होने के कथन वादपत्र मे किये गये है यदि परिवार द्वारा घरूबंटवारा किया होता तो घरूबंटवारे के मुताबिक अपीलांटस को उनके हक व हिस्से के अनुसार भूमि प्राप्त अवश्य होती। अपीलांटस व रेस्पो0 के मध्य कभी कोई बंटवारा नही हुआ। रेस्पो0 द्वारा पिता दयालाराम के नाम से दर्ज भूमि घरूबंटवारा मे प्राप्त होनी बतलाकर डिक्री हासिल की है। विवादित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमे अपीलांटस का हक व हिस्सा है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटस के हित प्रभावित होते है। अपीलांट के पिता दयालाराम द्वारा अपनी समस्त भूमि के संबंध मे एक वसीयत अपीलांट सं. 1 एवं रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पक्ष मे दिनांक 04.01.2013 को वसीयतनामा निष्पादित किया गया है जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के अपीलांट सं. 1 व रेस्पो0 सं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर के अधिकारी है। इसलिये अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की जा रही है इस कारण अपीलांटस को तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांटस की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से दज समस्त आराजी का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का खाराखेडा से संपर्क किया तो अपीलांट को पता चला कि रेस्पो0 द्वारा दयालाराम के नाम से दर्ज आराजी की डिक्री दिनांक 01.08.13 को सहायक कलैक्टर टिब्बी के न्यायालय से हासिल कर ली गई है तत्पश्चात उक्त डिक्री बाबत दस्तावेजो की नकल प्राप्त करने हेतु न्यायालय मे सम्पर्क किया। इस प्रकार दिनांक 30.09.2014 को नकल प्राप्त होने के उपरांत अपील प्रस्तुत की। इस प्रकार अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को माफ किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश कर वादग्रस्त भूमि जो रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता दयालाराम के नाम से दर्ज है, की घोषणा अनुतोष चाहा गया। जिसमे दयालाराम द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का कथन किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा डिक्री किया गया है जो सही है। अपीलांट का यह तर्क कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे कोई घरूबंटवारा नही हुआ है कतई गलत है। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे घरूबंटवारा हुआ है जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 को प्राप्त हुई है। अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि के संबंध मे दयालाराम द्वारा वसीयत निष्पादित किये जाने का कथन किया गया है, कतई गलत है। स्व. दयालाराम द्वारा कोई वसीयत नही करवाई गई है। तथाकथित वसीयत कतई फर्जी है। जिसके आधार पर अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादग्रस्त भूमि जो स्व. दयालाराम के नाम से दर्ज है जो दयालाराम एवं रेस्पो0 सं. 1 व 2 के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर प्राप्त हुई है। स्व. दयालाराम द्वारा उक्त वादपत्र मे उपस्थित होकर पत्रावली मे राजीनामा प्रस्तुत कर सहमति स्वरूप अंगूठा लगाया और दयालाराम के अंगूठा निशानी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा उभय पक्ष को सुनाया जाकर बाद तस्दीक शामिल किया गया और मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्टस द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही थे इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अपने पिता दयालाराम के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत कर दयालाराम के नाम दर्ज भूमि के संबंध मे घरूबंटवारा के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे सिर्फ दयालाराम को पक्षकार बनाया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाकर दयालाराम के नाम से दर्ज आराजी की घोषणा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये अपने नाम करवाई गई। जबकि स्व. दयालाराम के कुल छः वारिस है जिनमे से तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियां है जो वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार थे परन्तु रेस्पो0 सं. 1 व 2 अपीलांटस को पक्षकार बनाये बिना ही स्व. दयालाराम के नाम से दर्ज आराजी कीघोषणा अपने नाम से करवा ली गई। जबकि स्व. दयालाराम द्वारा अपने नाम से दर्ज आराजी की एक वसीयत दिनांक 04.01.2013 को अपने पुत्रों कृष्णसिंह, संताराम (रेस्पो0 सं. 1 व 2) एवं मक्खनसिंह (अपीलांट सं. 1) के पक्ष मे निष्पादित की गई है जिसमे सहमति स्वरूप से दयालाराम, कृष्णसिह, संताराम, मक्खनसिंह के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है तथा गवाह के तौर पर दरबारसिंह एवं जीतसिंह के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है जो अपीलांटस द्वारा फार्म नं0 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी वसीयतनामा दिनांक 04.01.13 से साबित है। परन्तु रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा मात्र स्व. दयालाराम को पक्षकार बनाते हुए दयालाराम के नाम से दर्ज आराजी की घोषणा अपने नाम से करवाई गई। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे हस्तक्षेप करने के प्राप्त आधार होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टि योग्य नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांटस को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध मे निष्पादित वसीयत दिनांक 04.01.2013 को मध्यनजर रखते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.09.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official